

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1992R-111/3022

दिनांक :- 31-3-23

आदेश संख्या:-127/2022-23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में लेवल L-13 स्वीकृत की जाती हैं।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुणेश	463/92	8590	04.03.1995	04.03.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
2.	जगदीश लाल मीणा	30/92SP	8595	23.01.1995	23.01.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
3.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	41/92R	2359	08.12.1995	08.12.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
4.	भैरुमल जैन	63/92	3863	13.12.1995	13.12.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
5.	बंशीधर वर्मा	169/89	4474	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
6.	मीठालाल चौहान	136/92SP	3357	23.01.1995	23.01.2022	
7.	कालूराम मीणा	556/92	3540	18.05.1995 (A/N)	19.05.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
8.	गोविन्दराम शर्मा	7/92 R	9732	30.06.1995	30.06.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।
9.	उमा शंकर	65/92 Sp	5831	23.01.1995	23.01.2023	परिनिन्दा के दण्ड के कारण एक वर्ष देरी से स्वीकृत।
10.	सुभाष चन्द्र	114/92 Sp	5958	30.06.1995	30.06.2022	

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 5, 7 एवं 8 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

Acp order



उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आशवासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं प्रदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1992R-III/3022

दिनांक :- 31/3/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।.....
4. निजी सचिव, निदेशक मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)